

अनुसूची—एक
 मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
 (जिला—मेरठ)
 (मध्यस्थ के रूप में पैनल में समिलित किये जाने के लिए आवेदन)

स्वप्रमाणित
 फोटो
 चिपकायें

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता:-
 (क) कार्यालय :
- (ख) निवास :
4. दूरभाष संख्या:-
 (क) कार्यालय : (ख) निवास :
5. मोबाइल संख्या:-
 (क) कार्यालय : (ख) निवास :
6. ई—मेल आईडी :
7. शैक्षणिक अर्हताएं :
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव :
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो :
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो :
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक :
 (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में काई आरोप—पत्र प्रस्तुत किया गया है? :
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता में अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है? :
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है? :
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी है, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?:

मैं एतददवारा निवेदन करता हूँ कि मैं

न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह अश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:

पूर्ण हस्ताक्षर: